

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

आईडी संख्या: UPFS/2023/91066/SBL/SAMBHAL/608/CFO

दिनांक: 31-07-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **KHMC SCHOOL BAHJOI 3KM STONE CHANDAUSI ROAD BAHJOI DISTT SAMBHAL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **268 267 173, 3KM STONE CHANDAUSI ROAD BAHJOI, BAHJOI** तहसील - **CHANDAUSI**, प्लॉट एरिया **8698 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **1495.14** (वर्ग मीटर), प्लॉटों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	2	0	8.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **KHMC SCHOOL BAHJOI 3KM STONE CHANDAUSI ROAD BAHJOI DISTT SAMBHAL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **08-08-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **सुभाष चौहान** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **09-08-2023** से **08-08-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **KHMC SCHOOL BAHJOI 3KM STONE CHANDAUSI ROAD BAHJOI DISTT SAMBHAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **KHMC SCHOOL BAHJOI 3KM STONE CHANDAUSI ROAD BAHJOI DISTT SAMBHAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**Note :** प्रश्रुत भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में तथा संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखने, एवं भवन में विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित से प्राप्त करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। शासनादेश के अनुसार सेंटवेक का निर्धारण सत्ताप्राधिकारी/नियतप्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। शासनादेश 18 CHH PU 8 2022 905 34 2016 TC DATE 07 01 2022 तथा एफएसएसओ चन्दौसी की संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**

हस्ताक्षर (निगमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(KRISHNA KANT OJHA)

[FAD078289550F5D9B50FEA91CFAF11EFC241D0E9]

09-08-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 09-08-2023

स्थान : **SAMBHAL**

*James Cupte*  
Manager  
K.H.M.C. School  
Chandausi Road, Bahjoi

*(Signature)*  
PRINCIPAL  
KHMC SCHOOL  
BAHJOI-244410